

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 112/2024....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	15-1-25	<p>पत्रावली पेश हुई। नव. शगवतार सिंह द्वारा मप्रार्थी संख्या 13, 14, 15, 13 की ओर हो तथा नव. प्रेमचन्द भाव्या द्वारा मप्रार्थी सं. 1, 2, 6 लगा 12, 14 लगा 19 की ओर हो। U.T. की गत्री। पत्रावली वास्ते बरतजार तामील रिकॉर्ड शेष मप्रार्थीगत दिनांक 5/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	<p>U.T. 34, 5, 13 शगवतार 19 U.T. फिल मप्रार्थी सं 1, 2, 6 मापत 12 9/1/25 19 प्रेमचन्द भाव्या</p>
5/3/25		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्व का स्थानान्तरण हो गया। आदेशानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।</p>	
5/3/25		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्व का स्थानान्तरण हो गया। आदेशानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।</p>	
9.4.25		<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीत्रा उपस्थित। पूर्वसंख्या श्री पाखना से पत्रावली दिनांक 4/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
4.6.25		<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगत एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगत को आज न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार सावापे लगवायी गयी। बावजूद सावापे लगवाने के अफ़सत भी प्रार्थीगत के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 जा 0 210 के तहत समय हाजरी व समय पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली क्रमशः शुमार होकर नंबर से कम होकर नाखिल रहता है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	